

15.55 hrs.

STATEMENT RE SETTING UP OF
 COMMISSION ON CENTRE STATE
 RELATIONS

MR. SPEAKER: The hon. Prime Minister.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North-East): What is the urgency about this? Will the Prime Minister explain the urgency of this Commission?

THE PRIME MINISTER (SHRIMATI INDIRA GANDHI): Well, considering that we have been thinking about it now for some years we can hardly be said to be hurrying. Besides, Rajya Sabha is adjourning...

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South): As also the memorandum submitted by the West Bengal Government.

SHRIMATI INDIRA GANDHI: Well, if you like to take the credit, you may. But a lot of people share it with you.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: You are not doing for a mid-term Poll?

SHRIMATI INDIRA GANDHI: Sir, if we can now get on with the business of the House, with your permission, I am making the statement.

Sir, the Government have been considering for some time past the need for a review of the existing arrangements between the Centre and the States. While keeping in view the social and economic developments that have taken place over the years, such a review will take into account the importance of the unity and integrity of the country for promoting the welfare of the people. The Government have accordingly decided to set up a Commission under the Chairmanship of Shri R. S. Sarkaria, Retired Judge of the Supreme Court of India to go into these matters.

The Commission will examine the working of the arrangements between the Centre and the States and recommend such changes in the said arrangements as may be appropriate within the present Constitutional framework.

श्रीमनी राम बालड़ी (हिंनार) :
 प्रधान मंत्री जी इसको दो खम्भा राज्य के बजाय 4 खम्भा राज्य के तरोके पर क्यों नहीं करती ? चौखम्भा जी आपका बुनियादी सवाल था ?

(व्यवधान)

16.00 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL),
 1983-84—Contd.

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

MR. SPEAKER: The House will now take up discussion and voting on Demand Nos. 45 and 46 relating to the Ministry of Food and Civil Supplies for which 5 hours have been allotted.

Hon. Members present in the House whose cut motions to the Demands for Grants have been circulated may, if they desire to move their cut motions, send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move.

A list showing the serial numbers of cut motions moved will be put up on the Notice Board shortly. In case any Member finds any discrepancy in the list, he may kindly bring it to the notice of the officer at the Table without delay.

Motion moved:

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1984, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 45 and 46 relating to the Ministry of Food and Civil Supplies."

Demands for Grants, 1983-84 in respect of the Ministry of Food and Civil Supplies submitted to the vote of Lok Sabha

No. of Demand	Name of Demand	Amount of Demand for Grant on account voted by the House on 18th March, 1983		Amount of Demand for Grant submitted to the vote of the House	
		Revenue Rs.	Capital Rs.	Revenue Rs.	Capital Rs.
1	2	3	4	5	6
MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES					
	Department of Food	157,97,96,000	6,55,68,000	769,89,79,000	32,76,39,000
	Department of Civil Supplies	79,08,000	1,38,50,000	3,95,37,000	6,92,45,000

MR. SPEAKER : Shri M.M. Lawrence.

16.00 hrs.

[SHRI R. S. SPARROW in the Chair]

SHRI M. M. LAWRENCE (Idukki): Sir, in the sphere of food and civil supplies, our country is experiencing great hardship. Even though the Government always claims that we are attaining self-sufficiency in the sphere of food and so many other essential items, there is no enough supply. The reality is the production of rice and wheat in the country is not enough to feed all citizens of our country. If everybody in our country takes food to the full, what would have been our position? Actually, a portion of our people have no capacity to purchase rice and food. A considerable proportion of the population of our country is not eating food sufficiently. Time and again, we admitted that more than 50 per cent of our people are below the poverty line. So it is a well-known fact that the majority of our people are not eating to their stomach's content. The Government is claiming very often that we are attaining self-sufficiency in the matter of food. In recent days, we have read in the newspapers and even the matter was raised in this House that in some parts of our country, people are not only starving but even dying because of not getting food. There are instances of this kind from Rajasthan, Tamil

nadu and Bihar. We are going to hear more from many other parts of our country and from many of our States if the situation is not remedied urgently.

This is the picture of the country today. Adequate supply is not being given by the Central Government to the States with the result that great difficulties are faced by the deficit States. To attain self-sufficiency in reality, we have a reform our land policy radically. Our aim in the freedom struggle was the radical land reforms, to end landlordism and to give land to the tiller. But for the last 35 years, the Government which is ruling this country was withholding land reforms. Perhaps now the representatives of the ruling party or the Ministers may deny saying that they were not ruling always and another Party was in power for some time. But in my opinion the same class has been ruling this country and that class, in the last 35 years, has been preventing radical land reforms. They have been protecting the interests of landlords and the interests of big capitalists and monopolies only. If, as we had preached during our freedom struggle, we had implemented the land reforms and given land to the poor

peasantry and to the landless agricultural labourers, we would have produced perhaps double of what we have produced this year or last year. So, the main responsibility for starvation, for deficit, for increase in prices and for black-marketing and hoarding rests upon the present Government. They are only responsible, not the people.

The purchasing capacity of the people is very low and still it is going low. The agricultural labourers are not getting the minimum wages and the peasantry, the farmers, of our country are not getting remunerative prices for their produce. They are being exploited by the traders and the middlemen. When the harvest starts these traders enter the market and purchase the agricultural produce for low prices and they stock it and then sell for higher prices. The prices of the agricultural inputs are always going up, but the farmers are denied remunerative prices for their produce. Same is the situation faced by all sections of the farmers, whether they are cultivators of rice or of wheat or of onion or of cotton or of sugarcane or of potatoes; all the farmers of our country are experiencing this. Take, for example the position of the sugarcane farmers. They are not getting a remunerative price. The millowners are exploiting the sugarcane growers by giving a very low price to them but, after the production of sugar, they are selling the sugar for a higher price. Similarly they are giving very low wages to the workers working in the sugar mills, and the Government is encouraging them. We have a dual pricing system in sugar. Only a small portion is purchased as levy sugar and that does not meet the needs of the people. But at the same time a large portion of sugar is being sold by the millowners at higher prices. Government is also encouraging exports. At Rs. 2 or Rs. 2.50 per kilo, they are exporting sugar from this country at the expense of the common people of our country all these losses have to be borne by the common people, by the poor consumers of our country. But at the same time those sugar magnates

are amassing profits like anything. This is the policy being pursued by this Government. This is the position not only with sugar but also with the other crops. Take, for example, the cash crops. In Kerala we have produced so much cash crops—spices. They are being exported and so much of valuable foreign exchange for the nation, we are earning. But never has this Government given any consideration to our State for this valuable service to the nation which is being done by the farmers of Kerala State. The question is of giving a fair price to the farmers as well as giving a minimum wage to the agricultural labour. The farmer should get a reasonable price and it should be sold for a reasonable price to the consumers by keeping away middlemen. But that policy has never been pursued by this government. In the sphere of pulses which is the main source of protein in our country, we need as per statistics 47 grammes of pulses per capita, but the per capita availability is 39.1 grammes. It was 70.4 grammes in 1955-56. In the revised 20 point programme importance has been given for augmenting production of pulses. Actually the availability in 1978 was 45.2 lakhs tonnes; in 1979 it was 44.9 lakhs tonnes and in 1980 it was 31 lakhs tonnes and in 1981 it was 39.5 lakhs tonnes.

Now some State Governments are encouraging the cultivation of soya beans. It is a dangerous move. In Rajasthan and in some other States, on the insistence of the World Bank or it may be more correct to say under compulsion from the World Bank they are encouraging soya bean cultivation. We have no technology for processing soya bean. So after cultivation of Soya bean, naturally we have to sell it to outside countries.

So, in reality USA is going to buy soya bean for a very low price and they will process it and again that will

[Shri M.M. Lawrence]

be sold in our country at an exorbitant price thereby earning big profits. As part of this State Governments are supporting the World Bank conditionality and the Central Government is encouraging this policy which is detrimental to the interest of our nation. Why has the Government chosen to encourage cultivation of soya bean instead of our traditional pulses—thereby helping the World Bank and through that, the USA?

Sir, it is a known fact that the purchases done by the Civil Supplies Department always lead to corruption. They are always purchasing at exorbitant prices. Higher prices—which are not prevalent in the market—they are giving. It is a well-known fact that it is due to corruption. But what is the Government doing to prevent that corrupt practice? Serious allegations are reported against FCI officials. Some senior officers are given extension of service repeatedly after superannuation and at the same time FCI is denying the legitimate demands of the workers also. Sir, FCI officials some time back agreed to enhance the salary of employees but now they have gone back on their word. So, the efficiency of the workers who are working inside the FCI is going down. Likewise FCI officers are using the workers to carry 100 kg. bag. It is against the stipulation of ILO. ILO has stipulated 50 kg. for an ordinary worker but our Labour Department considering the Indian condition of the workers stipulated 35 kg. for an Indian adult worker.

After some time Government agreed to bring it down to 75 kg. from 100 kg. but that too was not implemented.

Sir, the deficit States are being denied adequate quota allotment of rice and other food material. In respect of Kerala every month 2 lakh tonnes of rice is needed for the public distribution system. This matter has been brought forward before the

Central Government by the State Government and so many times it has been raised in this House also but so far Government has done nothing. The maximum supply was in 1981, namely, 1.35 lakh tonnes. From 1981 December it has been 90,000 tonnes. From May 1982 to October 1982 it was 1.11 lakh tonnes and in November 1982 it was 90,000 tonnes. From December 1982 onwards it has been 95,000 tonnes. This matter was discussed in this august House but the reply of the Minister was negative. He was not prepared to give adequate supply to the Kerala Government for maintaining public distribution system. Now, we are facing lean months. The same is the position in Tamil Nadu, Uttar Pradesh, West Bengal and Tripura and so many other States. To meet these lean months the Government has to augment the supply of rice to these States. In Kerala the public distribution system is crumbling down for the last so many months full ration is not being distributed with the result people were forced to depend on the open market and in the open market prices are going up. Sir, owing to the low purchasing capacity of the ordinary people they cannot purchase from the open market and they are also not able to get the decided quota from the ration shops. Therefore, most of our people are experiencing great hardship.

Sir, in the case of West Bengal due to acute widespread and continuing drought the minimum requirements from Central pool of rice is 2 lakh tonnes per month. The lean months are coming but the attitude of the central Government is not at all helpful. In month of February only 1.10 lakh tonnes of rice was given to West Bengal. In the matter of facing drought also the Central has not come to the aid of West Bengal government. This holds good in the case of Kerala State also. For Kerala only Rs. 9 crores were given to face the

drought situation. In the matter of West Bengal they demanded Rs.74.18 crores to meet pre-monsoon drought conditions but the Central Government stipulated to spend only Rs. 24.77 crores. For post-monsoon drought they demanded Rs. 205.38 crores but the Centre fixed the ceiling on expenditure at Rs. 52.50 crores. Similar is the case of Tamil Nadu. The matter became so serious that the Chief Minister himself had to go on hunger strike. The Finance Minister of Tamil Nadu stated that they need to tide over the coming four to five months 6 lakh tonnes of rice and requested for a financial help of Rs. 35 crores to purchase rice from the open market. It has not been given by the Central Government from June onwards the off-take of foodgrains would go up to 1 lakh tonnes per month. It will put tremendous pressure on the public distribution system in Tamil Nadu.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI M. M. LAWRENCE: Sir, this is the situation in this country. So how this Government is going to tide over this situation? They may say so many things but the basic thing is that they are unprepared to implement land-reforms. They are always protecting the interests of landlords. They are ruining the farmers in the countryside. They are denying minimum wages to agricultural labourers. They are encouraging the traders and middlemen to squeeze the workers who are working in the industries. The same is the fate of middle-class employees working in Government offices and the other middle-class people of our country.

As long as this Policy is continued by these problems are not going to be solved. As long as this Government is in power, various welfare schemes are not going to be implemented. The only way out for the people of this country, the labourers, the agricultural workers and the farmers, is to unite and struggle against this policy

of the Government. Either the Government should change its policy or the people will instal a Government which is capable of implementing the policies which are needed by the people of the country, the workers, the agricultural labourers and the farmers.

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE (Panskura): I beg to move:

"That the demand under the head 'Department of Food' be reduced to Re. 1."

[Failure to take over the wholesale trade in foodgrains] (1)

"That the demand under the head 'Department of Food' be reduced to Re. 1."

[Failure to guarantee remunerative prices to sugarcane growers.] (2)

"That the demand under the head 'Department of Food' be reduced by Rs. 100."

[Necessity of increasing the target of foodgrains procurement from the present 12.5 per cent.] (3)

"That the demand under the head 'Department of Food' be reduced by Rs. 100."

[Need to guarantee remunerative price to the peasants.] (4)

"That the demand under the head 'Department of Civil Supplies' be reduced to Re. 1."

[Failure to supply 4 lakh tons of foodgrains per month to West Bengal.] (8)

"That the demand under the head 'Department of Civil Supplies' be reduced to Re. 1."

[Shri Geeta Mukherjee]

[Failure to supply adequate foodgrains to maintain effective public distribution system in the country.] (9)

SHRI BHOGENDRA JHA (Madhubani); I beg to move:

"That the demand under the head 'Department of Food' be reduced by Rs. 100."

[Necessity of supplying foodgrains regularly to Madhubani, Darbhanga, Santhal Parganas and other drought-hit districts of Bihar.] (5)

"That the demand under the head 'Department of Food' be reduced by Rs. 100."

[Urgency of crushing the entire sugarcane lying in the fields, particularly in U.P. and Madhubani, Darbhanga, Sitamarhi and other districts of Bihar.] (6)

"That the demand under the head 'Department of Food' be reduced by Rs. 100."

[Urgency of clearing all the dues of the cane growers by the Sugar Mills particularly by the Lohat Sugar Mills in Madhubani district, Sugar Mill at Sakri in district Darbhanga and Raiyam Sugar Mills in Bihar.] (7)

"That the demand under the head 'Department of Food' be reduced to Re. 1."

[Necessity of fully nationalising wholesale trade in foodgrains.] (11)

"That the demand under the head 'Department of Food' be reduced to Re. 1."

[Urgency of supplying adequate quantity of foodgrains regularly

to Bihar for meeting minimum requirements in Madhubani, Darbhanga and other drought affected districts of the State.] (12)

"That the demand under the head 'Department of Food' be reduced to Re. 1."

[Need to evolve and implement a composite price policy ensuring remunerative prices to the peasants and producers, parity in the prices of agricultural produce and industrial goods and inputs and a limit of 15 per cent in prices paid to the primary producers and charged from the actual consumers.] (13)

"That the demand under the head 'Department of Civil Supplies' be reduced to Re. 1."

[Need for regular supply of the essential commodities to the drought-affected blocs and districts of Bihar.] (14)

SHRI SUDHIR GIRI (Contai): I beg to move:

"That the demand under the head 'Department of Food' be reduced to Re. 1."

[Failure to take over the wholesale trade in foodgrains in the country.] (15)

"That the demand under the head 'Department of Food' be reduced by Rs. 100."

[Need to do away with the malpractices in the F.C.I.] (16)

"That the demand under the head 'Department of Civil Supplies' be reduced to Re. 1."

[Failure to cover the whole of the country by a net work of public distribution system.] (17)

"That the demand under the head 'Department of Civil Supplies' be reduced by Rs. 100."

[Need to supply wheat and rice to the deficit States according to their demands and on time.] (18)

"That the demand under the head 'Department of Civil Supplies' be reduced by Rs. 100."

[Need to curb black-marketing in imported edible oil.] (19)

"That the demand under the head 'Department of Civil Supplies' be reduced by Rs. 100."

[Need to supply all essential commodities at subsidized and uniform rates throughout the country.] (20)

MR. CHAIRMAN: As already announced, I will now request Shri K. Vjaya Bhaskara Reddy to make his Statement.

16.24 hrs.

STATEMENT RE. STRIKE BY WORKERS OF DELHI TRANSPORT CORPORATION ON 23RD MARCH, 1983

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY): DTC Mazdoor Congress had presented a 20 Point Charter of Demands to the Management on 6th December, 1982. The Management had given its reply to the demand charter on 14th January 1983, indicating the position in respect of various demands. This was followed up by further negotiations between the Management of the DTC and the Union at various levels on different occasions. The Mazdoor Congress had also promised to supply further details pertaining to some of its demands. On 7th March, 1983, DTC Management was served with a one-day token strike notice for the 23rd March, 1983. A hunger strike was also organised in front of the DTC main office from 18th March, 1983.

The Minister of State for Shipping and Transport had appealed to the union leaders to call off the threatened strike, accompanied by an offer to set up a High-powered Committee which could examine their demands and submit a Report within a prescribed period of time. The Mazdoor Congress leaders were, however, adamant that certain financial concessions must be announced straightway. This was not considered possible. The Union proceeded with the one-day strike, which was illegal.

The striking workers not only struck work themselves but did not allow other workers to function. Despite all this, the DTC Management was able to outshed approximately 800 buses in the morning hours, but most of these were again held up en-route, their tyres deflated. The private buses operating under contract with DTC were also not allowed to operate.

These activities had resulted in damage to more than 100 DTC buses and burning of 3 vehicles. About 150 persons are reported to have been injured, of which over a hundred are Police officers and men. There has been the tragic death of a DTC Conductor (Shri Ram Singh). The Lt-Governor of Delhi has already ordered a Magisterial Inquiry into this death, as well as sanctioned Rs. 5,000/ ex-gratia to the next of kin.

I deeply regret the inconvenience caused to the people of Delhi, particularly school-going children and office-goers.

As to the genuine demands of the workers, Government is always willing to look into them. It is proposed to set up a High-level Committee which would examine the various demands and submit its Report within four weeks.

श्री रामबिलास पासवान (हजिपुर) :
सभापति जी जब कल डा० टा० सो०
को बसे बन्द थीं तो सरकार ने ग्राहक-
नेटिव व्यवस्था क्यों नहीं की? आपके

[श्री राम विलास पासवान]

पास ट्रेन्सयीं वह चलवा सकते थे और गाडियां चलवा सकते थे। कल इतनी दिक्कत हुई है कर्मचारी अपने काम पर नहीं आ सके।

MR. CHAIRMAN: Please listen to me; at this stage no clarification will be asked according to the rules.

श्री राम विलास पासवान : आप इस पर डिस्क्शन अलाऊ कीजिये। सरकार को कहिये पूरा जवाब देने के लिये। जन जीवन के साथ खिलवाड़ करने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है।

MR. CHAIRMAN: Once again, listen to me. Kindly give a notice. After that, it will be considered.

श्री राम विलास पासवान : नोटिस दिया है।

MR. CHAIRMAN: I will clarify your point; yes, you have given the notice. It will be examined.

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : इन एंडीकेट है।

श्री राम विलास पासवान : जवाब अधूरा है। मंत्री महोदय से पूछिये कल इन्होंने आल्टरनेटिव व्यवस्था क्यों नहीं की? यह लोकल ट्रेन्स चलवा सकते थे।

MR. CHAIRMAN: Before you could ask, this has to be examined.

श्री राम विलास पासवान : हम लोग वाक आउट करते हैं मिनिस्टर के स्टेटमेंट पर। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और लोगों के साथ जनजीवन के साथ सरकार ने खिलवाड़े की है।

(SHRI RAM VILAS PASWAN then left the House).

MR. CHAIRMAN: Let us not be unfair on this. (Interruptions)

SHRI HARIKESH BAHADUR: Sir, nothing has been said about the employees problem. Nothing has been said as to what he is going to do in this matter. (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: What you say may be correct. But unless this is examined, you will not be in this position to ask the questions now. (Interruptions)

SHRI HARIKESH BAHADUR: Nothing has been said in the statement. The statement is inadequate. (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Not allowed at this stage.

(Shri Harikesh Bahadur and some other Hon'ble Members then left the House)

SHRI E. BALANANDAN (Mukundapuram): I want the Government to start immediate direct negotiations with the Unions and take a decision. That is what I want.

MR. CHAIRMAN: Not only that. There can be no questions now. We have to stick to the rules.

SHRI E. BALANANDAN: I am only requesting through you the Minister that he should advise the Delhi Transport authorities to have direct negotiations. That is what I want.

MR. CHAIRMAN: I am not expunging that. It is all right.

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE (Panskura): Even now sufficient number of buses are not plying. Obviously the workers are not satisfied. Something must be done about it. This statement does not make the situation clear.

श्री राम नगोना मिश्र : (सलेमपुर):
 सभापति महोदय, मैं आपका विशेष
 शुक्रगुजार हूँ कि खाद्य और नागरिक
 पूर्ति मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विषयों की
 मांगों पर हमको अपने विचार प्रकट
 करने का आपने अवसर दिया है।

अभी-अभी हमारे सामने जो स्थिति
 आई है, तबियत नहीं मानती तो यह कहना
 ही पड़ रहा है। हमारे विरोधी भाई कहते
 हैं कि रास्ता चल रहे हैं, अगर ठोकर लग
 गई तो सरकार जिम्मेदार है, पेड़ से
 गिर गये तो सरकार जिम्मेदार है।
 क्यों नहीं मना कर दिया? कर्मचारी
 गलती करते हैं और सरकार उन पर
 अनुशासन की कार्यवाही करती है तो
 विरोधी भाई विल्लाते हैं कि गलत
 किया। कोई सुझाव तो देते?

मंत्री महोदय का अभी बयान आया,
 कितना बढ़िया बयान था। उन्होंने
 सजैस्ट किया कि हम एक कमेटी बना
 देते हैं। आपकी तकलीफें कमेटी सुनेगी
 और वह फैसला करेगी। लेकिन मानने को
 तैयार नहीं, हड़ताल करेंगे। रास्ता
 चलते पेड़ से मोटर टकरा गई तो
 भी सरकार जिम्मेदार है। मैं समझता
 हूँ कि अगर विरोधी भाई चाहें तो सारा
 काम हो सकता है। सारे खुराफात की
 जड़ विरोधी भाई है। वह सब को
 उभाड़कर केवल नुवसान करवाना चाहते
 हैं। उनको अखबार में नाम निकलवाना
 था, अखबार के लालच में कि पेपर में
 नाम निकलेगा कि दिल्ली बस निगम
 की सहानुभूति में हमारे विरोधी भाईयों

ने वाक आउट किया। केवल परपज
 उनका यही था, और कोई सहानुभूति
 उनको नहीं थी।

इस मंत्रालय के संबंध में भी फिर
 वही कहानी याद आ रही है। समूचे
 देश में सूखा पड़ा। आप जानते हैं कि
 विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की।
 यह तो भगवान पर ही निर्भर करता है,
 बरसात नहीं हुई तो सूखा पड़ेगा।
 लेकिन फिर भी सरकार जिम्मेदार।

हमारे देश की प्रधान मंत्री ने कहा
 कि सूखा पड़ रहा है, हमारे देश के
 लोग क्या खायेगा? तो उन्होंने बफर
 स्टॉक जमा करने के लिए कोशिश
 की और विदेशों से गल्ला मंगा लिया।
 इस पर भी हमारे विरोधी भाई हल्ला
 मचा रहे हैं, कि क्यों मंगा रहे हैं? यहाँ
 किसानों को अधिक दाम दे देते।
 अगर विरोधी भाईयों की बात मानकर
 आज यह सरकार बफर स्टॉक नहीं रखती
 तो इस सूखे के समय में जब कि 31 करोड़
 से ऊपर लोग सफर कर रहे हैं, शायद
 ही कोई प्रदेश बचा हो जहाँ सूखा न
 हो, समूचे देश में भुखमरी की स्थिति
 होती। कितनी सूझबूझ और दूरदर्शिता का
 काम हमारी प्रधान मंत्री ने किया है?
 उनके निर्देश पर इस विभाग के मंत्री ने
 अपनी कार्यकुशलता से कैसा बटवारा
 किया कि कम-से-कम आज यह खबर
 नहीं है कि अमूक जगह पर भूख से
 आदमी मर गये हैं।

मुझे याद है जब मैं पढ़ रहा था
 तो अंग्रेजों के समय में बंगाल में सूखा
 पड़ा था। समूचे देश में सूखा नहीं था
 केवल बंगाल में था, लाखों-आदमी उस
 समय मर गये। मैं यहाँ तक कहूँगा कि
 बच्चों का मास भी खाने को लोग
 तैयार हो गये।

[श्री राम नगीना मिश्र]

आज जब कि 31 करोड़ लोग सफर कर कर रहे हैं समूचे देश में एक प्रकार से सूखा है, वहां इस तरह का इंतजाम किया गया कि एक भी आदमी भूखा नहीं मरने दिया गया, अगर इसकी सराहना भी विरोधी भाई नहीं करें तो वह सरकार के साथ अन्याय करेंगे।

मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ इसलिए उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है 10-11 करोड़ की आबादी है, इस देश का छठा हिस्सा है लेकिन मैंने जो आंकड़े देखे तो पता चला इस अनुपात में उसको गल्ला बहुत कम कम दिया गया है। इसलिए वहां गल्ला अधिक मिलना चाहिए। एक बात और भी है कि जब भी कोई बात होती है तब सेक्टर का ही नाम होता है। अच्छा होगा तो भी और खराब होगा तो भी। उत्तर प्रदेश की वितरण प्रणाली आज बहुत दूषित हो गई है। पहले इंडीवीजुअल को दुकानें दी गई थीं, वे ब्लैक में बैच देते थे इसलिए यह सोचा गया कि कोआपरेटिव को दिया जायेगा तो वितरण ठीक होगा लेकिन वे तो उनके भी चचा निकले, और भी ज्यादा गड़बड़ करने लगे। यहां पर हमारे मंत्री जी बड़े दूरदर्शी हैं वे कोई ऐसा प्रबन्ध करें जिससे उत्तर प्रदेश का भला हो जाए। जो गल्ला आप यहां से भेजते हैं वह जिनके लिए होता है उनके पास पहुंच जाए क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की वितरण व्यवस्था बड़ी खराब है। उनके अनुसार उत्तर प्रदेश में कम से कम 60 हजार दुकानें होनी चाहिए लेकिन वहां पर केवल 20 हजार ही हैं। शहरों में तो कुछ मिल भी रहा है, देहातों में कुछ भी नहीं है। इसलिए मंत्री जी स्टेट गवर्नमेंट को मजबूर करके नियमानुसार वहां पर दुकाने खुलवाने की व्यवस्था

करें। इस संबंध में एक और दिक्कत है। कोआपरेटिव वाले कहते हैं कि उनके पास फंड नहीं है। इसलिए कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि उनके पास फंड हो जायें और वितरण सुचारु रूप से चल सके।

इस समय उत्तर प्रदेश में चीनी और गन्ने की स्थिति विषम है जिसकी ओर मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा चाहूंगा। ऐसी स्थिति है न भूतों न भविष्यतः। गन्ने की ऐसी दुर्दशा न न पहले कभी हुई है न भविष्य में कमी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में 97 चीनी मिलें हैं। यह मिलें चार-पांच तरह की हैं। एक तो निगम की चीनी मिलें हैं। दूसरी कोआपरेटिव सेक्टर में हैं। तीसरी तरह की वह मिलें हैं जिनको राज्य सरकार अपनी देख-रेख में चला रही है। चौथी प्राइवेट सेक्टर में है। पांचवीं किस्म की वह चीनी मिलें हैं जिनको सेक्टर चलाती है। बहुत पहले से यह नियम है कि उत्तर प्रदेश की सरकार मिल-मालिकों से मिलकर गन्ने का दाम तय करती थी। पिछले साल उत्तर प्रदेश सरकार ने रिकवरी फार्मुला की बेसिस पर पूरब के लिए साढ़े बीस रूपए और पश्चिम के लिए साढ़े 21 रूपया प्रति क्विंटल दाम पर निर्धारित किया था हांलांकि पेट्रोल डीजल बिजनी और लेबर चार्ज बढ़ने से खेती की लागत बढ़ गई थी! वही दाम इस साल के लिए भी रखा गया है। सेक्टर के मंत्रीगण कहते हैं कि यह दाम नहीं देंगे। आप समझिए कि देहात का रहने वाला किसान तो यही जानता है यह राज्य केवल इन्दिरा जी का है। अगर कोई गलती है तो उसका दोष सेक्टर को मिलता है। वहां पर केवल पांच मिलें ही हैं जोकि सेक्टर के अधीन हैं और वह साढ़े 17 और साढ़े 18

रूपए दाम देती हैं। हमारे देवरिया जिले में 13 चीनी मिलें हैं जिसमें दो सेन्टर की हैं। 11 चीनी मिलें तो साढ़े 20 रूपया दे रही हैं और दो चीनी मिलें देवरिया और बेताबपुर यह भाव नहीं दे रही हैं।

वहां के किसानों ने हड़ताल की। चारों तरफ 20.5 रूपया मिल रहा है हम अपना गन्ना क्यों दें। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार को ध्यान देना पड़ा कि आप गन्ना सप्लाई करो जो सारी मिलें दाम देती हैं वही दाम आपको भी मिलेगा। किन्तु मान्यवर अब तक वह दाम नहीं मिला है। वहां पर विषम परिस्थिति हो गई है। सैन्ट्रल गवर्नमेंट के न देने से इसका असर प्राईवेट सेक्टर पर पड़ा। प्राईवेट सेक्टर वाले रूपया होते हुए भी दाम नहीं दे रहे हैं? मैं समझता हूं कि हमारे मंत्री सन्नम है पुराने नेता हैं वे उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थिति दोनों से परिचित हैं। शासन में जनमानस की भावना को व्यक्त करके वहां जो विषम स्थिति है उसका को व्यक्त निपटारा किया जाए। पार साल का 24 करोड़ रूपया मिलों की तरफ बकाया है। इस सीजन का भी करीब एक अरब से ज्यादा रूपया बकाया है। इसके लिए आप कौन सी स्कीम चलायेंगे।

16.41 hrs.

[Shri N. K. SHEJWALKAR in the Chair]

भभुक्षितम् किमन करोति पापम ।
क्षीडा जनानो निश्करुणा भवन्ति ।

भूख की ज्वाला से पीड़ित ऐसा कोई काम नहीं है जो किसान न कर सके। भगवान राम के गुरु विश्वामित्र को जब भूख की ज्वाला वर्दाशत न हो सकी तो

मांस खाने के लिए भी उतारू हो जाना पड़ा। आज उत्तर प्रदेश का किसान तड़प रहा है। उसकी वजह 10-20 हजार की पंचियां पड़ी हुई हैं। वह डीजल और कपड़े के लिए तरस रहा है हम यहां कौन सा लैक्चर सुनायें कौन सी नीति बतायें किसानों की। किसान के गन्ने की खून-पसीने की कमाई मिलों की तरफ बकाया है। दुर्भाग्य यह है कि फ़ैक्ट्री इन्डस्ट्री मिनिस्टर के जिम्मे है चीनी बाहर भेजनी हैं तो वाणिज्य मंत्री भेजेंगे और गन्ने का दाम तय करना है तो कोई दूसरा मिनिस्टर करेंगे। चीनी लेकर सप्लाई करेंगे तो आजाद साहब। पांच-पांच मिनिस्ट्रों के बीच का मामला है। हम तो यह कहेंगे कि हमको कुछ मत दीजिए किसानों को गन्ने का दाम दे दीजिए। अगर हमारे जिम्मे माल-गुजारी बकाया है जो कुड़की ग्रान्ट हो जाती है। बैकों का बकाया बाकी है तो कुड़की ग्रान्ट हो जाती है। लेकिन हमारे किसानों का कोई मां-बाप नहीं है। हमारी दशा बहुत ही दयनीय है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी नीति है उसको चरितार्थ करे। इतना ही नहीं मिल-मालिकों के जिम्मे लाखों रूपया बकाया रहता है सरकारी कर्मचारी लोग उनको गिरफ्तार भी नहीं करने जाते आप पता लगा लीजिये किसानों की तरफ बकाया है तो पता नहीं किसान की क्या परिशानियां उठानी पड़ी है। यह कोई मामूली मसला नहीं है। तड़पते हुई किसान की भूख को अगर शान्त नहीं किया गया तो पता नहीं यह आग कहां-कहां लग सकती है। मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं स्वतः किसान हू। हमारे पास भी दस हजार की पंचियां हैं। यदि हम इन पंचियों को लेकर किसी महाजन के

[श्री राम नगीना मिश्र]

पास गिरवी रखने जाते हैं तो हमें एक हजार रूपया भी नहीं मिलता है। मैं चाहूंगा कि जब तक हमारी गन्ने की पंचियों का मूल्य नहीं मिलता है उसको बैंक के रूप में माना जाए। किसान की तरफ यदि कुछ भी बकाया हो उसका एडजस्टमेंट उसकी पचीं से किया जाए। यदि नहीं होता है तो यह उसके साथ अन्याय होगा। यह सही है कि आवश्यकता अविष्कार की की जननी होती है। इसलिए आज आवश्यकता पड़ गई है कि गरीब किसानों के बारे में सोचा जाए।

हमारे ये विरोधी पक्ष के भाई सरकार के हर काम को दोष देते हैं। ये लोग ही सब खुराफातों की जड़ हैं। हमारे यहां पूरब में जब किसानों का दाम साढ़े बीस रूपया किया तो इन लोगों ने किसानों के पास जा कर कहा कि गन्ना मत दो, 30-40 रूपए क्विंटल बिकेगा। हमारे पूरब के किसान बड़े भावुक हैं, उन्होंने सोचा कि ये हमारे अच्छे नेता मिले हैं, अगर हम हड़ताल कर देंगे तो 35-30 रूपए क्विंटल तो मिल ही जायगा। अतीव क्या हुआ 20 दिन फैंकटरी बंद रहीं, फैंकटरियों में घाटा हुआ और सीजन बरसात तक चला गन्ने की रिकवरी डाउन हो गई.....

श्री एम० रामनारायण रेड्डी (निजामाबाद)
गन्ना सूख गया।

श्री रामनगीना मिश्र : गन्ना सूख गया। हमारे यहां गन्ना खेतों में खड़ा रह गया, हमारी आर्थिक स्थिति चरमरा गई। आज हमारे यहां मिलों की स्थिति भी अच्छी नहीं है और वह भी हमारे इन भाइयों की वजह से है। 22 करोड़ रूपया पिछले साल का बकाया है।

हमारी उत्तर प्रदेश सरकार लोन मांग रही है कि हम को तत्काल दीजिए। ताकि हम पुराना बकाया दे दें। इतना ही नहीं, श्रीमन्, जब आप गल्ले को स्टोर कर रहे हैं, बफर-स्टाक बना रहे हैं तो चीनी का भी बफर स्टोक बनाइये, बड़ी मात्रा में बनाइये और जितनी चीनी खरीदें उस का सौ प्रतिशत पेमेन्ट दे दीजिए, इस से गन्ने का दाम मिल जाएगा इस में कोई अतिशक्ति की बात नहीं है। हम ने देखा है कि जो बफर स्टोक बनाने के लिए आप चीनी खरीदेंगे उस का पेमेन्ट 100 प्रतिशत करेंगे, उस का बड़ा स्टोक बनाइये, ताकि गन्ना किसानों का लाभ हो सके। मैं फिर से इस बात को कहता हूँ—आइन्दा गन्ने की उपज कम होगी, चीनी की पैदावार कम होगी, उस समय आप का यह बफर स्टोक काम नहीं करेगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि चीनी का बड़े पैमाने पर बफर स्टोक बनाइये, इस से किसानों को पेमेन्ट मिल जाएगा।

मैं एक सूचना आपको और देना चाहता हूँ हमारे यहां गन्ने का एक डवेलप-मेंट विभाग बना हुआ है। उस क नोटिस छपता है कि गन्ने की पैदावार बढ़ाओ, उपज बढ़ाओ। इस काम के लिए आप ने कमिश्नर रखा हुआ है। अभी हाल में मैं अपने क्षेत्र उत्तर प्रदेश गया तो मुझे एक नोटिस मिला तथा गोरखपुर रेडियों से प्रचार किया गया गन्ना किसानों चेत जाओ, तुम्हारा एक्सेस गन्ना नहीं लेंगे। बतलाइये—गन्ना लेकर किस के घर जायें। केन परचेज एक्ट में लिखा हुआ है—एक जोन का गन्ना यदि किसान दूसरे जोन की मिलों के पास ले जायेगा तो उस पर 500 रूपया जुर्माना होगा और 6 महीने की सजा भी होगी। ऐसा कानून आप ने बनाया हुआ है कि हम यदि

गन्ना दूसरी जगह लें जाएंगे तो जुर्माना भी होगा और सजा भी भुगतनी पड़ेगी यह आप के एक्ट में है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आज क्या कहा जा रहा है कि तुम खुद अपने गन्ने का प्रबन्ध करो। आग लगे तो कुंआ खोदेंगे। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी सदन में ऐलान करें कि गन्ना किसानों का गन्ना खेतों में खड़ा नहीं रहेगा, जब तक गन्ना रहेगा मिलों को चलना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह गन्ना किसानों के प्रति बहुत बड़ा अन्याय होगा, कानून के प्रति अन्याय होगा।

श्रीमन्, आप ने बहुत पहले हिदायत दी थी कि समय कम है। इसलिए मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मुझे सिर्फ इतना ही कहना था कोई लेक्चर नहीं देना था। केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि—मिल वाले कहते हैं कि हम गन्ना नहीं लेंगे और किसानों के पास जा कर हमारे ये भाई कहते हैं कि हड़ताल कर दो! लेकिन किसान तो पिछले साल का मुक्तभोगी है। उस ने इन को कह दिया कि तुम लोग गांव से निकल जाओ, तुम लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की है। नतीजा यह हुआ कि इन के कहने पर हड़ताल नहीं हुई। मैं इन से यही कहना चाहता हूँ—भाई अपनी राजनीति करने के लिए गन्ना किसानों को बलि मत चढ़ाओ, उन को सही राय दो। हमारे पश्चिमी क्षेत्र के किसानों को भी इन्होंने कहा था कि हड़ताल करो। लेकिन उन्होंने कहा—हम हड़ताल नहीं करेंगे, गन्ना गिराओ आन्दोलन करेंगे। वहां भी ये लोग मुंह की खा कर चले आये।

अभी किसी भाई ने कहा कि हमारे यहां बिहार के मिनिस्टर ने एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी—गन्ने

का दाम साढ़े-बीस और साढ़े एककीस कर दिया।

मैं पूछना चाहता हूँ कि पर साल क्या रहा। समझाया जाता है रिकवरी फार-मूला कि 8.5 पर इतना रहेगा और 9.0 पर इतना मूल्य रहेगा। "लिखा जोखा थाहें, लड़का बूढ़े माह" वाली नीति नहीं चलेगी। दो फैक्ट्रियां एक ही जगह हैं। एक का रिकवरी प्वाइंट 9.5 है और एक का 9.0 है तो गन्ना किसानों का क्या दोष है। तो यह फार्मूला नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने दो क्षेत्र बनाए हैं। पश्चिमी का साढ़े 21 रूपया और पूर्व का साढ़े 20 रूपया रखा है। यही फार्मूला चल सकता है। रिकवरी फार्मूला नहीं चल सकता है।

एक बात और कहना चाहता हूँ कोई चीनी मिल बीमार होती है। पूंजीपति उतना बढ़िया-बढ़िया रश्मान निकाल लेता है और एकाउंट में हेरफेर करके काफी रूपया बकाया दिखा कर मिल को बीमार दिखा देता है। विरोधी दल के लोग भी नारे लगाते हैं कि ऐसी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। हमारी सरकार ने बिना सोचे समझे सारी बीमार फैक्ट्रियों को ले लिया। किसी का 60 लाख रूपया बकाया था किसी का एक करोड़ रूपया बकाया था सरकार को सारी फैक्ट्रियों को ठीक करना पड़ा और बकाया का भुगतान करना पड़ा। मेरा कहना यह है कि भविष्य में ऐसी मिलों को नीलाम करा दिया जाए। और उतना पैसा देकर के उस मिल को डेबलप किया जाए। नहीं तो पूंजीपति अदालत में चला जाएगा और सरकार का रूपया लगने के बाद मिल वापिस पूंजीपति के पास चली जाएगी।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा):
अब कानून बन गया है कि मिल वापिस नहीं मिलेगी।

श्री रामनगीना मिश्र : मेरा निवेदन है कि भविष्य में ऐसी फैब्रिक्ट्रियों को नीलाम कर दिया जाए। हमें विश्वास है कि हमें आजाद साहब जैसा कुशल प्रशासक नहीं मिलेगा। मैं गन्ना किसानों की तरफ से उनको बधाई दूंगा। वे गन्ना किसानों की दुर्गति को देखें और प्रणव मुखर्जी साहब से भी निवेदन करें की वे किसानों को गन्ने का अच्छा दाम दिलवाएं। इससे बड़कर किसानों का दूसरा भला नहीं हो सकता।

श्री गिरधारीलाल डोगरा (जम्नू):
चेयरमैन साहब, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे समय दिया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा।

जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मेरे और आजाद साहब के जाती खयालात मिलते हैं। जिन तरह से हम किसानों के बारे में सोचते हैं, उनका सोचने का तरीका भी वही है। इसके बावजूद भी अगर वे किसानों के लिए ज्यादा न कर सकें तो जरूर कोई न कोई उतमें मजबूरी समझी जाएगी। फिर भी मैं कुछ बातों की ओर उनकी तबज्जह दिलाना चाहता हूँ।

मैं मिश्रा जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। यह एक ऐसा मसला है जिसे सुलझाना होगा। किसानों ने मेहनत करके गन्ने की पैदावार बढ़ाई है। अगर हम उनको खांडतारी में भी कनवर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो यह हमारी प्लानिंग की

कमी कही जाएगी। किसानों का पिछला भी बकाया है। अगर इसमें कहीं डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टफोलियो की उलझन है तो उत्तको भी आप ठीक करवाएं। इस मामले को लटकाना ठीक नहीं होगा। आप जैसे एक्टिव मंत्रों के होते हुए इस समस्या के समाधान में देरी नहीं होनी चाहिए।

एक बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। यह बात सही है कि राज्य सरकारों से मिलकर आपको फंक्शन करना होता है। आप उनको जरूरी चीजें दे देते हैं। इसके बाद वितरण का काम राज्य सरकारों का होता है। जब तक आपका चौकस स्टाफ वितरण प्रणाली को नहीं देखेगा तब तक योजनाएं सफल नहीं हो सकतीं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हर जगह मजबूत करवाएं।

मेरे खयाल में कोआपरेटिव का डिपार्टमेंट आपकी मिनिस्ट्री के साथ होना चाहिये। जहाँ गवर्नमेंट के डिपो नहीं है वहाँ वस्तुओं का कोआपरेटिव सोसायटीज के द्वारा ही डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और हैल्दी कोआपरेशन के बगैर वह भी खराब हो जाता है। इसलिये, ऐसे लोगों को जिनको गवर्नमेंट समझती है कि वह अमीर फार्मर को प्रोडक्शन की सहायितों दें कोआपरेटिव मूवमेंट का इंचार्ज नहीं बनाना चाहिये, इंटीग्रेटेड डवलपमेंट के लिये कोआपरेटिव बहुत जरूरी है और इसमें सिविल सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोक्यूरमेंट आफ एसेन्शियल क्मोडिटीज होना आवश्यक है। इसलिये, मैं समझता हूँ कोआपरेशन का महकमा आपके पास होना चाहिये उसके बगैर आप कुछ नहीं सुधार पायेंगे। आपको प्राइवेट डीलर्स को भी कंट्रोल करना है क्योंकि दूर-दराज के इलाकों में एसेन्शियल क्मोडिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट रेड्स से ही हो सकता है। लोग आज

जमाने में ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि बेकारी बढ़ रही है और एम्प्लायमेंट के चैनल्स कम हो रहे हैं तब भी खाने पीने की चीजें मौके पर फेअर रेट्स पर नहीं मिलें तो काफी दिक्कत हो जाती है। आप मिलों को फस्ट्र चार्ज में फिक्सड कोटा देने के लिये मजबूर है। उसके बाद वो जो चाहे करें कोई पूछने वाला नहीं है। व्यापार के लिये वे गेहूं पीसते हैं और आटा बिना कंट्रोल के बेचते हैं। इससे हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर असर पड़ता है। हमारे यहां तूफान है, सूखा है, और सेलाब आता है, ऐसी जगहों पर सामान भोजने में बड़ी दिक्कत आती है। आपके पास मिलों को देखने के लिये स्टाफ है उनको गन्दम दे कर भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। वे सूजी और मैदा निकाल लेते हैं और फिर यहां तथा बाहर के देशों में ब्लेक करते हैं। आप नहीं देखेंगे तो और कौन देखेगा मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन काफी समय से ऐसा ही हो रहा है जिसको कोई नहीं देखता है। हमारे ब्यूरोक्रेसी को भी इसका पता है। मैं तो चाहता हूँ कि भूखे इन्सान को सामने रखिये और उसकी भूख दूर कीजिये।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि दूर-दराज के और दुश्वार इलाकों में एक ही भाव पर गरीब आदमी को आटा मिलना चाहिये जिससे उसे पता चले कि सेंटर हमारे लिये कुछ काम कर रहा है। अगर इस मामले में कुछ गड़बड़ी होती है तो स्टेट गवर्नमेंट को पकड़ा जा सकता है। आपकी तो इस वक्त भगवान ने भी मदद की है क्योंकि इन्टरनेशनल मार्किट में आयल प्राइसेस गिर गई हैं और आपके पास काफी रूपया बचेगा जिससे आप उसको सबसिडाइज कर सकते हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि आपने सिर्फ गरीब आदमी की ही मदद करनी

है बल्कि जो मिडिल क्लास के और बिलो पावर्टी लाइन के लोग हैं और जो आदमी राशन कार्ड पर लेना चाहता है, उसको दीजिये। मार्किट के लिये जो प्रोड्यूस करता है उसको अनाज मत दीजिये क्योंकि वे गरीब को बेनीफिट से डिपराइव करते हैं जिससे शार्टेज हो जाती है। मैंने जहां भी इस प्रॉब्लम के बारे में पूछा तो कोई नहीं समझा सका बल्कि कुछ लोग तो यह भी नहीं जानते कि यह गलत तरीका कैसे चल रहा है अगर आप यह वाँधली नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? इसके बाद किसको ट्राई करना है?

17.00 hrs.

आपका फूड कारपोरेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है, मगर उसकी भी अपनी मजबूरियां हैं। पहले तो जो परचेज करती है डिफरेंट एजेंसीज वह सही किस्म का अनाज परचेज करें उसके बाद जब एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो मैंने अपने यहां देखा है कि खुले बैगन्स में गन्दम, चावल, सीमेंट लदा होता है जो बारिश पड़ने पर खराब हो जाता है। कहने का मतलब यह कि बैगन को तारपोलिन से कवर नहीं करते हैं। जब रेलवे मिनिस्ट्री ने किराया बढ़ाया है तो इनको कहिये कि इन चीजों को ढकने के लिये तारपोलिन रखें जैसे कि ट्रक वाले करते हैं। भौगा हुआ गेहूं, चावल तो खाने लायक भी नहीं रहता। सीमेंट भी अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर का भी है तो हम नहीं चाहते कि उसका नुकसान हो। इसलिये रेलवे को ऐसे माल को बरसात से प्रोटेक्ट करने की उचित व्यवस्था करनी चाहिये। मेरे क्वथाल में ऐसा सभी जगह होता होगा। कितना नुकसान हो रहा है, हम इम्पोर्ट कर रहे हैं और यहां माल वेस्ट हो रहा है भौग रहा है, सड़ रहा है। सीमेंट बरबाद हो रहा है और हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे

[श्री मिन्धारी लाल डोगर]

हैं। किसी न किसी को तो कोआर्इनेट करना चाहिये ताकि माल को बरबाद होने से बचाया जा सके। जो इसके लिये जिम्मेदार हैं। वह अगर नहीं समझते हैं तो बड़ा सीरियस नेग्लिजेंस है, बड़ी भारी कोताही है, इससे हमारी इकोनामी डीरेल होती है। अगर यह लुटि ठीक हो जाये तो हमारी बहुत बचत हो सकती है। आप इसको जरा देखिये।

आटा के मुताल्लिक एक बात और कहनी है कि हर स्टेट के लिये आप आटे का एक स्टैंडर्ड मुकरर कीजिये। जब आटा मिल में पिसता है कितना उसके अन्दर मैदा रहना चाहिये, कितनी गूजी रहनी चाहिये, इसका परसेंटेज तय करना चाहिये और जो मिनिमम परसेंटेज ह्यूमन बोडी को मेंटेन रखने के लिये जरूरी है उतने इनप्रीडियेंट आटे में रहने चाहिये। अभी तो आटा मिल वाले गेहूं का सब तत्व निकाल लेते हैं और जो खाक बचती है उसको बेचने के लिये दुकानों पर दिया जाता है। उसकी फूड वैल्यू कुछ नहीं है। इसलिये एक मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिये सारे देश में और देश में और हर जगह आप मिलों को कम्पैल कर सकें इस बात की व्यवस्था कीजिये। प्योर फूड ऐक्ट में आपको अधिकार है आप उसको ऐनफोर्स कराइये। यहां जो आटा बिकता है उसका ऐनेलासिस कराइये ताकि अच्छा आटा लोगों को खाने को मिल सके। अभी तो जो आटा मिलता है वह पेट भरने के लिये ही है, उसकी फूड वैल्यू कुछ नहीं होती है। प्राइवेट तौर पर जो आटा बिकता है उसका भी एक स्टैंडर्ड आपको मेंटेन कराना चाहिये और उसके नीचे उसकी क्वालिटी को नहीं गिरने देना चाहिये।

मैंने वैजिटेबिल घी के मुताल्लिक जब कानून आया था, उस दौरान आप

मिनिस्ट्री को छोड़ गये, फिर वापस आ गये, तब मैंने कहा था कि वैजिटेबिल घी के नाम पर काफी गड़बड़ होती है। वैजिटेबिल घी के कनस्तरों में कुछ लोग ओलिव आयल भर कर के बेचते हैं जो ओलिव आयल साबुन बनाने के काम में आता है। अच्छी अच्छी मिलें ऐसा काम कर रही हैं। कुछ मिलें जरूर ठीक काम कर रही है, उनकी कैपेसिटी 50 टन से नीचे जाने पर इकोनामिकली वायए-बिल नहीं रहती। इसलिये आप उनकी कैपेसिटी को बढ़ाइये। आपको वैजिटेबिल घी और रिफाइनड आयल की बहुत जरूरत है, और आप ऐग्जमिन कर के देखिये... कैपेसिटी कम है, उसको बढ़ाइये। जो मिस-बिहेव करते हैं, जो गलत चीज बेच रहे हैं, उनपर छापे पड़वाकर देखिये। बहुत लोग बंच रहे हैं। आलिव-आयल को वैजिटेबल घी के बजाय और जनता की सेहत को खराब कर रहे हैं। और कई किस्म की बीमारियां पैदा कर रहे हैं। जो साबुन में पड़ने वाला आलिव-आयल है, वह इसान के अन्दर अपने टैम्परेचर से पिघल नहीं सकता, जहां जाता है वहीं बैठ जाता है। हम बाजार में कभी-कभी खाना खाते हैं। मैं नहीं खाता हूँ जब तक कि पता नहीं हो कि चीज अच्छी है। जो खाता है, उसे 50 किस्म की दिक्कतें आती हैं, कभी गला खराब होता है और कभी छाती खराब होती है। कुछ गरीब लोगों को मिलता वही है। उसमें हम नैग्लिजेंस कर रहे हैं। अच्छे आदमी के प्रोडक्शन को आगे बढ़ायें जो गन्दा माल बेचने वाले हैं, उनको रोकें।

कुछ अच्छा काम हुआ था, कुछ छापे पहले डाले गये थे, उस वक्त कुछ हलचल हुई थी। वह लोग रुके थे। वह धबड़ा रहे थे, कि आज्ञाद साहब को कैसे एप्रोच करें? मगर उनको मालूम हो गया कि एप्रोच नहीं हो सकती। गन्दा माल रुका।

मेरा कहना है कि अच्छी पैदावार बढ़ाइये, रिफाईंड आयाल बहुत जरूरी है, कुछ अच्छे यूनिट लगते हैं, अच्छा काम करते हैं तो उनको लगाइये, हर स्फीयर में बढ़ाइये। जिनका वैजिटेबल आयाल अच्छा है, उनको आगे बढ़ाइये जो गन्दा बनाते हैं उनको रोकिये। आप खुद समझदार हैं, इसलिये मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। आपके नोटिस में यह लाना चाहता था, इसलिये ले आया। अब आप जाने आपका काम जाने। हम जहां तक होगा आपकी मदद कर सकते हैं। हमको बताइये हम आपके लिये हाजिर हैं। दखलदर माकूलात हम नहीं करेंगे। जो मदद हमें करनी है, उसके लिये हम तैयार हैं।

(व्यवधान)

हम वह करेंगे जो यह बतायेंगे। खुद थोड़े ही करेंगे।

मैं बहुत मशकूर हूँ, आपका जो मुझे बोलने का मौका दिया।

SHRI N. SOUNDARARAJAN (Sivakasi): On behalf of my Party, AIADMK, I wish to participate in the discussion on the Demands for Grants relating to the Ministry of Food and Civil Supplies.

This House knows well that Tamil Nadu is under the severe attack of drought. Our hon. Chief Minister, Finance and Food Ministers came to Delhi to enlighten the situation to the hon. Prime Minister and also to the hon. Food Minister. But in spite of making repeated representations both in person and in writing, the Government of India came forward to send 5000 tonnes of rice and 4000 tonnes of wheat. They requested the Central Government to send 80,000 tonnes of rice and 20,000 tonnes of wheat. The quantity which the Central Govern-

ment came forward to offer to the Tamil Nadu Government was not at all a reasonable one, but a negligible quantity. You are sending one lakh tonnes of rice to Kerala Government. But when our State is facing drought and is unable to manage it within its resources, why should the Central Government not come forward to offer a reasonable quantity of rice and wheat to our Government? I ask the hon. Minister: Is it merely because Tamil Nadu is ruled by a non-Congress (I) Party?

You are saying that Tamil Nadu is a surplus State. After 1974 when the Cauvery water coming to Tamil Nadu has started dwindling, the production also has started going down. Now, we cannot say that Tamil Nadu is a surplus State. When it is not a surplus State, how can the State Government contribute its share to the Central Pool? In 1978-79 when there was a surplus, the State Government wrote to the Central Government to take the surplus paddy or rice. But the Central Government did not come forward to take that. Rather, it said that the rice offered by the State Government was rotten and so, it did not procure that rice. Later on I know the fact that the State Government wanted an inspection team to check the rice. Initially, the inspection team was not sent but later on the team came to Tamil Nadu and made a random checking. When the foodgrain was declared unfit for human consumption, the Centre allotted about 70 thousand tonnes from the same stock for National Rural Employment Programme of the State. I refer to this because I want to set the records right there. So, I appeal to our hon. Food Minister to rush necessary supply of foodgrains to Tamil Nadu in the interest of survival of the people of Tamil Nadu. It is not a political view, it is not a political problem, it is the problem of the people. So at least on humanitarian basis our hon. Minister should come forward to give our State Government, if not the required amount, at

[Shri N. Soundararajan]

least as much as possible. Now, the seventeenth point of the New Twenty-Point Programme is about opening of more fair-price shops and strengthening of public distribution system. The hon. Prime Minister has written to all the C.Ms, in this regard. Our C.M. Shri M. G. R., whose entire life has so far been a saga of sacrifice for the cause of common people, has opened 17,000 fair-price shops in the State. Previously, before he came to power, only 7,000 fair-price shops were there in Tamil Nadu. What is the use of having fair-price shops without adequate supply of foodgrains?

The Congress (I) Members the other day interrupted my colleague and pointed out that the Government of Tamil Nadu had offered rotten foodgrains unfit for human consumption in 1978-79.

The Central Government is not at all sending the required amount. Moreover, you are also not permitting our State Government to purchase rice from State corporations. So, I would like to ask our hon. Prime Minister why she is not allowing our State Government to purchase rice from other State corporations. You are asking us to purchase rice only from the market. It is well-known that in the open market, the price of rice would be more than the corporations' price. So, I would like to submit to our hon. Prime Minister that even though the Central Government is not able to fulfil our demand, at least the Central Government should permit our State Government to purchase rice from nearby State corporations.

Though it is not relevant here to mention about the inadequate supply of coal for running the thermal power stations in the State of Tamil Nadu, yet I have said it in order to emphasise my point that the North is flourishing and the South is languishing. Our great leader Anna used to say

that North is waxing and South is waning. This has been proved from what I have stated so far. So, I appeal to the hon. Minister of Food and Civil Supplies to rush adequate supply of foodgrains to Tamil Nadu in the interest of the survival of the people of Tamil Nadu.

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) :

सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने संसद में जो खाद्य और आपूर्ति मंत्रालयों की मांगें प्रस्तुत की हैं, उनका मैं समर्थन करती हूँ। मेरा विचार है भारत सरकार की खाद्य नीति दूरदर्शी है, नीति निर्धारण में कहीं कोई खामियां नजर नहीं आती हैं। जहाँ तक इसके कार्यान्वयन का प्रश्न है उसको बहुत मंजिलें पार करनी होती हैं। भारत सरकार से लेकर राज्य सरकारें और राज्य सरकारों से लेकर पंचायत स्तर तक, जो हमारी खाद्य नीति है, उसका कार्यान्वयन वहाँ किया जाता है। वहाँ पर कर्मा वृटियां रह सकती हैं लेकिन जहाँ तक नीति का सवाल है, वह वृटि-हीन है। सरकार की जो नीति है वह उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में उनके हितों का सन्तुलन करती है। गाढ़े समय में आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मात्र आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं करता है, बल्कि सारे देश में सूखे की भंयकर परिस्थिति जब उत्पन्न होती है, तो उस समय की मतां पर नियंत्रण भी रखता है।

जहाँ तक बफर स्टॉक की नीति है, वह भी बिल्कुल सही है। यदि ऐसी नीति नहीं अपनाई जाती, तो अभी हमारे देश में सूखा पड़ रहा है, ऐसी कठिन परिस्थिति में भी हम उसका मुकाबला नहीं कर पाते। 15 वर्ष तक पहले तो हमें विदेशों से भारी मात्रा में खाद्यान्न आयात करना पड़ता था। जिससे हमारी काफी विदेशी मुद्रा का ह्रास होता था। अब हम खाद्यान्न में आत्म-निर्भर हो रहे हैं।

अभी कुछ क्षण पहले विपक्ष की ओर कहा जा रहा था, वे अपनी ओर से कह सकते हैं, लेकिन यह दुनिया मानती है कि हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। पहले जमाने में प्राकृतिक प्रकोप कभी 10-20 साल में एक बार आता था, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि जैसे यह हमारे जीवन का एक अंग बन गया है। इतनी बड़ी आपदा में यदि हम इस प्रकार सोचते हैं, कि हमारी सरकार की नीति कारगर नहीं होगी, यह सोचना अनुचित है। भयंकर सूखा होने पर एफ सी आई ने भी अन्न पहुंचाने के मामले में एक रिकार्ड स्थापित किया है। मैं यह कहना चाहती हूँ कि 1982 में खाद्यान्न का मूवमेंट 15.37 मिलियन टन था, जबकि 1978 में यह 9.6 मिलियन टन था।

सभापति जी, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि जो सही है, वह सही है। फिर भी मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान एफ सी आई की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ। यह सही है कि इन्सान में जिस प्रकार अच्छाइयाँ होती हैं, उसी प्रकार बुराइयाँ भी होती हैं। इसी प्रकार हमारे सरकारी तन्त्र में भी कमियाँ हैं और कई उपलब्धियाँ और सफलताएँ हैं। जो मैं कह रही हूँ, वह इसलिये नहीं कह रही हूँ कि एफ सी आई ही ऐसा विभाग है, जहाँ उपलब्धियाँ नहीं हैं, कृटियाँ हैं। लेकिन इस विभाग की कृटियों की ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। यह अमूमन देखा जाता है कि जिसका जनता से डायरेक्ट संबंध होता है, उसकी आलोचना अधिक होती है। जैसे पुलिस विभाग है, स्वास्थ्य और शिक्षा है, उसी प्रकार से यह विभाग है। इस विभाग को ग्रामीण स्तर से लेकर शहर तक बच्चा-बच्चा जानता है। नौजवान, बच्चे-बुढ़े, औरत-

मर्द—इस का सभी से ताल्लुक रहता है। नतीजा यह होता है कि यह आलोचना का पात्र अधिक बनता है। यह बात नहीं है कि जो अन्य विभाग है, उनमें कोई गड़बड़ी नहीं होती है। कोई खामियाँ नहीं होती हैं। जनता का संबंध सीधा उनसे नहीं रहता है, इसलिये वे लोगों की आँखों में किर-किरी नहीं बनते हैं।

खाद्य निगम की कुछ सफलताएँ भी हैं और विफलताएँ भी हैं। खाद्य निगम ने देश के अन्दर खुली मंडी में अपने बहुत प्रभावकारी खरीददार के रूप में एस्टेब्लिश किया और खरीदारी में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। विदेशों से सामान आया है, जो गल्ला आया है, उसको भी हँडल किया गया है, बहुत प्रभावकारी ढंग से। दूसरी बात यह है कि खाद्य निगम ने सेन्ट्रल और स्टेट के बीच जो वेयर हाउसेस कारपोरेशन है, उनके माध्यम से वैज्ञानिक तरीके से खाद्यान्न सुरक्षित रखने का प्रयास किया है। खाद्य निगम ने रलवे के साथ भी बहुत अच्छा तालमेल बैठाया है। जहाँ पर खाद्यान्न की आवश्यकता थी, उसको कम से कम समय में अधिक से अधिक सामान पहुंचाया है। अपनी वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं द्वारा खाद्य निगम ने बहुत अच्छी तरह क्वालिटी कंट्रोल किया है। जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिये। सभापति जी, एफ सी आई द्वारा एक करोड़ 88 लाख बँग खाद्यान्न प्रति माह का मूवमेंट है। प्राकृतिक प्रकोप के समय में भी सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में 31 लाख का मूवमेंट रहा है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि सिर्फ पश्चिम बंगाल को इतना देना चाहिये। मैं कहना चाहती हूँ कि पश्चिम बंगाल को ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान में, जहाँ-जहाँ पर सूखा पड़ा

[श्रीमती कृष्ण साहू]

है, सबको आपको देखना है। उत्तर प्रदेश को, बिहार को और जहाँ जहाँ लोग प्रभावित है, केवल वेस्ट बंगाल ही नहीं...

श्री सैयद मसूद न हुसैन (मुशिदाबाद) : हमने सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिये नहीं कहा है...

श्रीमती कृष्णा साहू : उन्होंने वेस्ट बंगाल के लिये कहा था। आप के मुताबिक वेस्ट बंगाल को दिया जायेगा तो प्रशासन का मापदण्ड ठीक रहेगा। मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूँ यह एक बहुत बड़ा दायित्व आप के ऊपर है और इस उत्तरदायित्व को निवाहने में आप की कारगर भूमिका होनी चाहिये। लेकिन साथ-साथ मैं यह भी कहूँगी कि भारतीय खाद्य निगम एक सफेद हाथी बन कर रह गया है जो किसानों की रक्षा की बजाय किसानों का भक्षण बन कर रह गया है। आप ने भी कहा है और हम भी मानते हैं कि वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिये खाद्यान्नों को किस तरह से रखा जाय इस की आपने चेष्टा की है। लेकिन एक वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था के अध्ययन के अनुसार अब तक, 6 अरब रुपये की सरकारी सहायता के बावजूद, खाद्य निगम भारी घाटा दे रहा है। एक वैज्ञानिक संस्था ने इस पर रिपोर्ट की है, उस की रिपोर्ट मेरे पास है। मेरे पास समय नहीं है, इसलिये मैं बाद में आप से मिल कर आप को दिखाऊँगी। अनाज के साथ-साथ चोनी, उर्वरक आदि के वितरण का उत्तरदायित्व सम्भालने के बाद लोगों ने यह आशा की थी कि उस के रख-रखाव और मण्डारण व्यवस्था में खर्चा घटेगा, लेकिन खर्चा घटा नहीं, बढ़ता ही चला गया और यह हमारे लिये एक अभिशाप साबित हो रहा है।

मंती जी, मैं आप से एक बात और निवेदन करना चाहती हूँ। यह बात 1976 की है। 1976 में भारतीय खाद्य निगम ने एक नीति बनाई थी कि जो प्राइवेट व्यक्ति यदि अपनी जमीन दे देगा तो एफ सी आई उस जमीन पर गोदाम बनाने के लिये उन को इजाजत दें देगे, लेकिन शर्त यह थी कि उस का डिजाइन, उस का मापदण्ड, क्राइटेरिया सब एफ सी आई तय करेगा। जब एफ सी आई ने यह शर्त जनता के सामने रखी तो जिन व्यक्तियों ने इस को मान लिया उन को बैंक ने 75 प्रतिशत कर्ज दिया तथा बैंक के साथ यह एग्रीमेंट किया गया 9 वर्षों में उस कर्ज को अदा किया जायगा। जब वे बन गये या लोगों ने बनाने शुरू किये, तो 6 वर्ष बाद ही जब का एग्रीमेंट 9 वर्ष का था, एफ सी आई कहती है कि हम खुद अपने गोदाम बनायेंगे आप इस को इस तरह से देखिये जो गोदाम चार पांच लाख रुपये में बन सकता था, अब एफ सी आई बनायेगी, तो उस पर 10 लाख रुपया खर्च आयेगा, उस के बाद इस रकम के सूद को देखिये, उस के रख-रखाव के खर्च को देखिये, उन के निर्माण की योजना पर जो खर्चा होगा उस को देखिये। 1976 में एफ सी आई ने गोदाम नहीं बनाये, क्यों नहीं बनाये? इसलिये कि उन का उस समय कहना था कि जमीनों के एक्वायर करने में बहुत परेशानी होगी, झमेला होगा, इन की व्यवस्था पर खर्च करना होगा, रख-रखाव पर खर्च करना होगा, इस काम के लिये एक इन्जीयरिंग सेल भी रखना होगा, इसलिये उस समय यह नीति निर्धारित की गई थी कि एफ सी आई न बनाये, जो लोग बनाना चाहे, उन को बनाने का मौका दिया जाय। अब वे अपनी इस नीति में परिवर्तन करना चाहते हैं। यदि यह परिवर्तन दूर-दराज के एरियाज में जहाँ गोदाम नहीं है, वहाँ के लिये होता

है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जहाँ गोदाम बन चुके हैं या बन रहे हैं, उन के लिये इस नीति का उपयोग होगा तो बैंक का कर्जा कैसे दिया जायगा, क्योंकि यह भी सरकारी विभाग है और वह भी सरकारी विभाग है।

आज एफ सी आई की स्थिति यह है कि प्रति वर्ष 100 से 150 करोड़ रूपया उस को घटा बचाने के लिये दिया जाता है, सविन्डी भी देते हैं, लाखों रुपये की कीमत का अन्न चूहे खा रहे हैं यह रोज अखबारों में पढ़ने को मिलता है। ऐसी स्थिति में वह कैसे इन गोदामों को बनायेगा। उन्होंने गोदाम बनाने की बात क्यों कही है? उन का कहना है कि जो बने हैं वे सब स्टैण्डर्ड है। मेरी समझ में नहीं आता है कि वे सब स्टैण्डर्ड कैसे हो सकते हैं। जब इनके क्राइटेरिया के अनुसार प्राइवेट व्यक्तियों को एफ सी आई की अनुशांशा पर ही गोदाम के लिये बैंक पैसा देती थी, अब कि इन की ब्राड एप्रोच यह है —

To build additional storage capacity or higher capacity.

यानी वे जब हायर कॅपैसिटी की पूर्ति की बात करते हैं तो यह उस समय सोचना चाहिये था, इस से आप की दोहरी नीति हो जायगी। इस में आप को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। आप इसको देखिए।

एफ सी आई में ओवर स्टाफिंग है। इतना ओवर स्टाफिंग है कि आम जनता में एफ सी आई की छवि बिगड़ रही है। इतना घाटे के बावजूद इतना स्टाफ रखा गया है। मंत्री महोदय इतने कार्यकुशल हैं। मैं चाहूंगी कि वे इसमें सुधार लायें। एक गोदाम जिसकी क्षमता ढाई हजार

टन है वहाँ पर 16 दरवान रखे जाते हैं उनमें से भी कई अनुपस्थित रहते हैं घांस्ट स्टाफ भी होता है। इसकी जांच करवाई जाए।

एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग सेल है। इसकी क्या आवश्यकता है। जब सारे मकान और गोदाम किराए पर लिये जा रहे हैं तो इस सेल की क्या आवश्यकता है। इस के रीजनल सेल भी हैं। मेरे विचार से इसका एक ही सेल पर्याप्त है। कहीं अगर जूट का गोदाम बनाया है तो उसके ऊपर अस्वेस्टोज लगेंगी या इसका डिजाइन कैसा होगा? इतना काम एक ही सेल कर सकता है।

चूहे के कई प्रकार होते हैं जैसे पोर्टरेट, दो-ढाई फुट ऊंचा तक उड़ जाता है तो गोदाम का अस्थिर कितना होगा या कैसा बनाया जाये जिससे चूहे न जा सके यह पूरी छान बीन के बाद बनता है इसके बावजूद चूहे कैसे पटुंच जाते हैं। कुछ सरकारी पदाधिकारियों और चू बिचौलियों की सांठ गांठ से यह काम होता है जिसके कारण ऐसा होता है यह जो बेशुमार खर्च एफ सी आई पर हो रहा है इसको रोकिये। अगर ऐसा होता रहा तो इसके जरिये कोई काम होने वाला नहीं है।

आपको याद होगा कि जब 1980 में हम इस सदन में आए थे तो 8 अगस्त को माननीय राव साहब ने राज्य सभा में बताया था कि खाद्य निगम में प्रतिवर्ष 45 करोड़ की हानि होती है। एक कॉर्रिग अटेंशन के उत्तर में यह जानकारी दी गई थी। खाद्य निगम में दोषपूर्ण भण्डारण, कर्मचारियों द्वारा अनाज की चोरी, ठेका श्रमिक प्रणाली, गोदामों के बंद होने के कारण, हड़ताल होने के कारण यह हानि होती है। यह हानि बढ़ती जा

रही है इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ।

अंत में एक दो बातें और कहना चाहती हूँ। खाद्य निगम ने सरकार को स्वयं बताया है कि विभिन्न गोदामों में करोड़ों रुपये का खाद्यान्न सड़ गया। 28 दिसम्बर 1980 को उनका स्टेटमेंट है। इतनी बड़ी मात्रा में खाद्यान्न खराब हो जाने पर सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में आश्चर्य व्यक्त किया गया। जब संस्था में इतनी गड़बड़ी है तो आश्चर्य की इसमें क्या बात है। मैनेजमेंट ने खुद कहा कि यह आश्चर्य की बात है। लेकिन इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। खाद्यान्न के रख रखाव पर खाद्य निगम जितना खर्च कर रहा है वह क्यों कर रहा है। अनाज खरीदते समय पूरी जांच के बाद खरीदा जाता है। उसकी नमी की जांच की जाती है। फिर गोदामों में दवाओं और गैस से अनाज ठीक किया जाता है। नमी और चूहों से बचाने का पूरा प्रबंध किया जाता है। वैज्ञानिक ढंग से खाद्यान्न की जांच होती है। आश्चर्य है कि प्रतिवर्ष गोदामों में अनाज सड़ता है और चूहे खाते हैं। इस ओर आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है।

वावजूद इसके इतनी खामियां हैं, इतनी त्रुटियां हैं आप एक व्यवस्था को जरूर बरकरार रखिये। वह यह कि स्टेटस म प्रोक्योरमेंट एफ सी आई के द्वारा ही बरकरार रहना चाहिये। एक यूनियन पालिसी होनी चाहिये। विभाग को चुस्त और दुरुस्त करने की जरूरत है। युद्धस्तर पर कार्य करने की जरूरत है। लेकिन इस नीति को आप कायम रखिये। अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

प्रशासन में जो लोग हैं यहां से लेकर राज्य सरकार तक और प्रखण्ड स्तर तक, उनको देखना होगा।

मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में कहना चाहती हूँ। सरकार की नीति है कि दो हजार प्रति यूनिट पर दुकाने खोली जायगी। यह नीति ठीक है लेकिन यह बात भी ठीक नहीं है कि कोई चीज प्राचुर्य में मिले, वह सबको मिल जाय, ऐसी बात भी नहीं है। कम दोजिये लेकिन दुरुस्त होनी चाहिये। इसकी व्यवस्था आपको देखनी चाहिये। प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर और आज तक जो चालू योजना है, इस बात पर बिल दिया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किस तरह से उन्नति हो और कैसे यह कारगर हो। उपभोक्ताओं में कोई जागृति नहीं है। आपन बहुत प्रयास किया है मूल्यों की सूची टांग दी विभिन्न जांच समितियां बना दी हॉर्डिंग होने से भी रोका है लेकिन जो 70 करोड़ लोग हैं और जो दो लाख 81 हजार उचित दर की दुकाने हैं, उनसे क्या लाभ उपभोक्ताओं को पहुंचता है और उपभोक्ताओं का क्या अधिकार है, यह उन्हें मालूम होना चाहिये। कैसे वे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं और कैसे इससे फायदा उठा सकते हैं। कनाडा और अमरीका में जिस तरह से उपभोक्ता लाभ उठाते हैं वह हमारे यहां नहीं है। लेकिन हम लोगों को इसके लिये प्रयास करना चाहिये। मैं समझती हूँ कोई कारण नहीं है कि हमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देती हूँ।

श्री सैयद मुसदल हुसैन : मिनिस्टर साहब खुद गवाह है कि जब भी हम अनाज मांगते हैं तो बेस्ट बंगाल, त्रिपुरा बिहार आदि सभी के लिये मांगते हैं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : सभापति जी, मंत्री जी, किसी स्टेट के नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के मंत्री है। वैंस्ट बंगाल यूपी या तमिलनाडु का सवाल नहीं है, जब यहां बैठे हुए है तो भारतवर्ष के मंत्री की हैसियत से बैठे है। जब तक ये पार्लियामेंट में रहेंगे तो पूरे देश की बात करेंगे, स्टेट में जब जायेंगे तो उस वक्त सिर्फ अपनी ही बात करेंगे। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे वेदों में लिखा हुआ है "अनन्म बहुकुरविता" अनाज ज्यादा उगाओं। अनाज उगाने के बाद उसको अच्छी तरह से रखना भी बड़ी भारी जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी आपके ऊपर यानी एफ सी आई पर है। करोड़ों टन अनाज हिफाजद से और अच्छी तरह से गोदामों में रखना, कितनी कठिन समस्या है, इसका आप अन्दाजा लगा सकते हैं, सिर्फ यह बोल देना कि ये खा जाते हैं, ठीक नहीं है। हमारे निजामाबाद में ऐसा रिवाज है कि ज्योही अनाज तैयार हो जाता है उसको घर में नहीं रखते हैं क्योंकि वहां रखने से चूहे खा जाते हैं या खराब हो जाता है। एफ सी आई के अफसरों को दोष देना, सही नहीं है। सब आफिसर्स खराब नहीं हो सकते क्योंकि वे भी देश भक्त हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं। अभी जो बहन जी ने कहा है, ठीक कहा है कि अनाज को गोदामों में ठीक से रखना चाहिये और जितने गोदाम है वे बहुत कम है। हमारे आन्ध्र प्रदेश में अनाज बारिश में बाहर रख देते हैं, सिर्फ तारपोलीन होता है जिससे वह पानी में भीगकर कम हो जाता है और इसका नुकसान करोड़ों में चला जाता है। जब तक आप गोदामों का अच्छा इन्तजाम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है।

डिस्ट्रीब्यूशन भी काफी महत्वपूर्ण है। अपने पास रखना ही काफी नहीं है

बल्कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक होना बहुत जरूरी है। जहां कमी है वहां ज्यादा दिया जाए। मगर किसी को पार्टी के लिहाज से भूखा नहीं मारना है। परसों चार मिनिस्टर्स बोले, पहली प्रोबलम इलेक्ट्रिसिटी की, दूसरी फूड की और फिर रिबर वाटर की है। उन्हें सेन्टर के साथ क्या पावर लेनी है ?

You will have powers but you will be crushed under these powers.

पहले तो अपने राइट और जिम्मेदारी की बात करो। महात्मा गांधी के पास कोई ह्यूमन राइट्स लिख कर लाया तो उन्होंने कहा ह्यूमन रेस्पॉसिबिलिटी पर किताब लिखिये। पहले अपनी जिम्मेदारी सीखो। हमारा आन्ध्र प्रदेश 400 करोड़ की बिजली बाहर भेजता है, आप दीजिए उसको तमिलनाडु, कर्नाटक या उड़ीसा को। हमें कोई एतराज नहीं है। कम से कम हमें शुक्रिया तो अदा करो। क्यों इस तरह की बातें करते हो। इसलिए जिस स्टेट की जबरदस्त फाउन्डेशन है, वहां एक हवा चली तो वहां आदमियों को सम्हल कर रहना पड़ता है। किसी को चैलेंज करने से काम नहीं चलता। हमने बहुत चैलेंजों को देखा है।

एक बात मैं शुगर फैक्ट्रीज के बारे में कहता हूँ। इनके लिए जो आपने पहला कदम लिया है वह अच्छा है। चीनी बहुत ज्यादा पैदा हो गई है और मनमाने रिलीजेज जो कर रहे थे इससे बाजार में भाव बहुत गिर गया, अच्छी अच्छी फैक्ट्रीज को नुकसान हो गया। अब आप अच्छी नीति का पालन कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा रिलीज कर के। इससे क्या होता है कि फैक्ट्रीज को चार पैसे

मिलेंगे जिससे वह किसानों को दे सकती है। यह अच्छी बात है। हमारे आन्ध्र प्रदेश में जब श्री विजय भास्कर रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे, या इससे पहले जो श्रीर चीफ मिनिस्टर थे, बैंक वाले बोलते हैं इतना पैसा जमा हो गया है ले जाइये। पता नहीं और जगह क्यों ऐसा नहीं है। हमारे यहां सभी फैंक्ट्रीज में पेमेन्ट सही हो रहा है, बराबर हो रहा है। केवल दो फैंक्ट्रीज में बराबर पेमेन्ट नहीं हो रहा है। हमारे यहां तो 14 दिन में किसानों को पैसा पेमेन्ट हो जाता है। और दूसरी जगह थोड़ी बहुत डिफिकल्टी है तो स्टेट गवर्नमेंट या बैंकों को थोड़ा पैसा देकर ऐसा इंतजाम करना चाहिये जिससे किसानों को पैसा मिल जाय। किसानों का पैसा अगर फैंक्ट्रीज के मालिकों के पास रह गया तो वह ज्यादा इनवेस्टमेंट नहीं कर सकते जिससे देश का नुकसान होगा। इसलिए अगर देश का प्रोडक्शन बढ़ना है तो किसानों को अपने माल का फौरन पैसा मिलना चाहिए।

एफ० सी० आई में पैसा जल्दी मिलता है, जब कि साहुकार थोड़ा देर में देता है और सही दाम भी नहीं देता। लेकिन एफ० सी० आई० में सही दाम किसानों को मिलता है। इसलिए एफ० सी० आई० को दोष देना ठीक नहीं है। आपके विभाग पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है क्योंकि 70 करोड़ लोगों को अनाज देना है। आप ऐसे समय में मंत्री बने हैं जब कई प्रान्तों में सूखा है। किसानों में ज्यादा पैदा करने की ताकत है, वह ज्यादा उगा भी रहे हैं इसलिए आप उदारता से दीजिए, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल को, को ई शिकायत नहीं रहनी चाहिये उन्हें और यह कहने का मौका नहीं मिलना चाहिए कि उन्हें अनाज

नहीं दिया जा रहा है। या हमारे देश में खाने की कमी है। गोदामों में अनाज रखने से कोई फायदा नहीं है, जो कुछ गादोमों में है, थोड़ा रिजर्व में रखिये, बाकी सब डिस्ट्रिब्यूट कीजिए ताकि सब को खाने को मिल सके। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बधाई दूंगा। मेरी नेक तमन्ना है कि आप इसमें कामयाब होंगे।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : (कोडरमा) : सभापति जी, आज देश में खाद्यान्न की आपूर्ति का जहां तक प्रश्न है वह एक गम्भीर संकट के समान पेश है, और खाद्य मंत्रालय से जितनी अपेक्षा और आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा है जिससे गरीब, हरिजन, मजदूर और खेती से दूर इन्सान में जिन्हें खाद्यान्न की आवश्यकता है, वह आज भीषण संकट में हैं। मंहगाई सुरक्षा की तरह बढ़ रही है। मंत्री जी की रिपोर्ट के अनुसार 3.6 प्रतिशत बाजार में वृद्धि हुई है। 1981 और 1982 में उन्होंने 10.1 प्रतिशत और 20.1 प्रतिशत बताया है कि इतना था। अब बहुत सुधरा है। लेकिन वर्तमान में बाजार में घूमकर देखिए, पांव में मंडी में जाइये तो पता लगेगा कि कागजी थोड़ा कितना सत्य है? कागज में जो देते हैं, वह बहुत भ्रामक है।

यह साफ पता लगता है कि जो चावल 1977, 1978 और 1979 में डेढ़ रुपया मिलता था आज वह 4, 5 रु० किलो मिल रहा है, थोड़ा रिफाइन्ड उससे मंहगा है। चीनी जनता रिजीम ढाई रुपये विक रही थी, बाजार में कोई भी ले सकता था। किसी को राशन कार्ड की जरूरत नहीं थी। आज राशन कार्ड लोग बंधवाकर रख रहे हैं।

सारे देश में वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आपने 2 लाख 81 हजार दुकानें खोली हैं, लेकिन यह दुकानदार, चुपचाप तराजू लेकर बैठे रहते हैं। महीने में एक दो बार उनको राशन की आपूर्ति होती है और वह भी बहुत कम। जो जाता है वह भी ब्लैक में बेचकर, उन अधिकारियों का पेट भरते हैं जो भ्रष्टाचार में आंकठ डूब गये हैं और अपने पेट की आपूर्ति करते हैं। उनको उन अधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ता है।

आपने रिपोर्ट में बताया है कि हम बहुत सुधार ला रहे हैं, वितरण प्रणाली को चुस्त और दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन यह सब कागज पर है, जमीन पर नहीं है। जमीन पर अगर यह होता तो आज चारों तरफ से हाहाकार नहीं मचता। सब चीजों का दाम नहीं बढ़ता। जितनी चीजें आप मुहैया करते हैं, तेल, चीनी, चावल सब का सब ब्लैक मार्केट के थ्रू मंडियों में आता है और ज्यादा दामों पर बिकता है।

आप के जितने अधिकार इस क्षेत्र में हैं और जितने 20-सूत्री कार्यक्रम लागू करने कार्यकर्ता हैं, वह सब उसी भ्रष्टाचार में फंसे हुये हैं न कि जनता के भोजन की आपूर्ति करने के लिये।

जीवन के लिये रोटी-कपड़ा और मकान तीन चीजें आवश्यक हैं जिसमें आपके मंत्रालय के अन्तर्गत रोटी और कपड़े का सवाल आता है। लेकिन इस काम में यह मंत्रालय बिल्कुल असफल सिद्ध हुआ है। जितनी कार्यवाही हुई है, जितनी चुस्त और दुरुस्त रेडियो, टेलीविजन में खबरें आती हैं, यह वास्तविक नहीं हैं। इनको जनता कभी कबूल नहीं कर सकती है।

आज देश के कई प्रांतों में भयंकर सूखा और आकल आया हुआ है, लेकिन हर जगह का रिकार्ड देखिये कि आप क्या आपूर्ति कर रहे हैं। बंगाल, बिहार, तमिलनाडू, केरल राजस्थान आदि इन प्रांतों में जनता भयंकर सुखाड़ और अकाल से ग्रस्त हो गयी है, लेकिन वहां आपकी क्या आपूर्ति है।

हमारे बिहार को लीजिये। बिहार में 32 जिलों में से 26 जिलों में भयंकर सूखा विगत 3 वर्षों से चल रहा है और आज 36 वर्षों में आज्ञादी के बाद भी लोग इन्द्र भगवान पर निर्भर हैं, न कि इंदिरा जी पर। इसलिये यह कितना दुःखद है कि आज कोई भी इंदिरा जी पर निर्भर नहीं है, बल्कि इन्द्र भगवान पर निर्भर है? यह आप के लिये शर्म की विषय है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिये।

यहां भाषण से कुछ नहीं चलेगा, इसके साथ-साथ कुछ कार्यवाही करिये। 20-सूत्री कार्यक्रम देखने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन केवल ईटिंग, मीटिंग और सिटिंग होती है। जिला और प्रखंड स्तर पर बीस-बीस आदमी बैठते हैं, टी० ए० बनाते हैं और चले जाते हैं। पहले एक दूकान खोली और फिर उसको खत्म करवा दिया। जब यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है तब एक ही पार्टी नहीं, सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को उसमें सम्मिलित करना चाहिये। आज उन दूकानों में भ्रष्टाचार चल रहा है। सीमेंट, चीनी और मिट्टी के तेल के मामले में घपला हो रहा है। यह चीजें जनता तक पहुंच नहीं पाती हैं। उल्टी गंगा बह रही है।

आपने सन् 1982 में बताया था कि 1,24,600 छापे मारे गये, भ्रष्टाचार रोकने के संबंध में, उसमें 3960

[श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा]

व्यक्ति पकड़े गये जिसमें 3813 व्यक्तियों पर ही मुकदमे चलाये गये। जब इतने ज्यादा व्यक्ति पकड़े गये थे तो इतने कम व्यक्तियों पर ही मुकदमे क्यों चलाये गये? पकड़े जाने पर अगर घूस दे दें तो वे निकल जाते हैं। इस तरह से जितने बड़े-बड़े भ्रष्टाचारी हैं वह तो निकल जायेंगे, छोटे-छोटे लोग ही पकड़े जायेंगे। चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के अन्तर्गत 600 व्यक्तियों को नजरबन्द करने का आदेश हुआ लेकिन वह फरार हो गये। कहीं देश से बाहर तो नहीं चले गये? केवल 26 व्यक्ति ही नजरबन्द किये गये। यदि 600 में से केवल 26 को ही आप नजरबन्द करेंगे तब कानून का परिपालन कैसे होगा? किस तरह से दूकानों में आपूर्ति हो सकती है? आज जो एफ० सी आई० है वह 4 हजार करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर रहा है लेकिन कितना अनाज वहां सड़ रहा है? आपने वहां पर आई० ए० एस० और आई० पी० एस० लगा दिये हैं जिनको इस बात की नालेज नहीं है कि कैसे अनाज सड़ता है और कैसे उसको बचाया जा सकता है। वे एअर-कंडीशन्ड कमरों में बैठे रहते हैं। उनको बिजनेसमैनो से सीखना चाहिये कि किस तरह से अनाज का भण्डारण किया जाता है। माननीय सदस्या ने यहां पर कहा कि सारा काम वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है लेकिन फिर यह गेहूं और चावल क्यों सड़ जाता है? अगर नहीं भी सड़ता है तो भी आफिसर्स उसको सड़ा देते हैं और वह बाजार में पहुंच जाता है। मैंने बिहार की कई मंडियों में देखा, उन्होंने कहा कि यह एफ० सी० आई० से आया है। मैंने पूछा कैसे तो उन्होंने कहा कि क्लू मत पूछिये। इसलिये आप जब तक एफ० सी० आई० की व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त नहीं करेंगे, तब

तक इस देश के लोगों को सड़ा हुआ अनाज खाना पड़ेगा। हमारे यहां साउथ एवेन्यु में भी गेहूं में ऐसी गन्ध आती है कि मजबूर होकर बाजार से लेना पड़ता है। जब हमको इतना सड़ा हुआ गल्ला मिल रहा है तब आप समझ सकते हैं कि सुदूर ग्रामों में मजदूरों तथा हरिजनों को कैसा गल्ला मिल रहा होगा?

खाद्य और नागरिक वृत्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भाववत झा आजाद) : मैंने चेक कराया था साउथ एवेन्यु में।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : उसके बाद भी वहां पर जो गेहूं आ रहा है, उसको आप खायेंगे तो बीमार होना पड़ेगा। मैं दावा करता हूं कि सभी एम० पीज० कहेगे कि इस तरह का गेहूं हमको वहां पर मिल रहा है।

सभापति महोदय : आप दावा कर रहे हैं या दावत भी दे रहे हैं?

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : हम दावत भी देते हैं कि आप एक बार आइये और खाकर देखिये कि किस तरह का गेहूं मिल रहा है। बिहार में जितने टन की आवश्यकता है, उसका सिर्फ आप 50 हजार टन ही दे रहे हैं। बिहार बहुत ही गभीर परिस्थिति से गुजर रहा है। छोटानागपुर और संथाल परगना में दो-दो सौ, तीन-तीन सौ आदमी मर गए हैं। ठंड से मरने की रिपोर्ट अखबार में बहुत आती है। मैं समझता हूं कि उनके पेट में दाना न होने से उनकी मौतें हो रही हैं। इसी प्रकार धनबाद जिले के चंदनक्यारी में एक हरिजन मरा है। संथाल परगना के पालहुंसदा में लोग भूख से मरे हैं, रांची में भी तीन-चार व्यक्तियों की मौतें हुई हैं। हर साल पलामू जिले में भी

भूख से मरने की खबरें आई हैं। छोटा नागपुर और संथाल परगना की हालत बहुत ही दयनीय है अर्थात् केवल चार सौ ग्राम प्रतिमाह दिया जाता है। बहुत कहने सुनने पर पांच सौ ग्राम प्रति यूनिट दिया जाता है। एक महीने में एक आदमी के जीने के लिए क्या यही खुराक है? इस तरीके से वहां के लोगों के लिए अनाज की पूर्ति हो रही है। अगर सरकार के ऊपर सभी लोग आधरित रहे तो मैं समझता हूँ कि आधी जनसंख्या का तो ऐसे ही सफाया हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में सरकार की जिम्मेदारी है कि बिहार में अकाल संहिता लागू करनी चाहिए, जबकि वहां 32 जिलों में से 26 जिलों की रिपोर्ट है, वहां 60 से 75 फीसदी फसलें खराब हो चुकी हैं। यह सरकार का पावन कर्तव्य हो जाता है कि उस को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करना चाहिए। अभी अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है, लेकिन वहां अभाव ही अभाव बना हुआ है। जानवरों के लिए चारा नहीं है, पीने को पानी नहीं है। राजस्थान में भी दो सौ आदमी मर गए हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : 55 आदमी बीमारी से मरे हैं। मैल न्यूट्रिशन

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : यदि बीमारी से भी मरे हैं, तो पेट में अनाज न होने की वजह से मरे हैं। ऐसी परिस्थिति में यह विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। इसको संभालिए और सुधार लाइए। जो भी अकालग्रस्त और सूखाग्रस्त इलाकों की मांगें हैं, चाहे वह कोई भी राज्य हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, आन्ध्र प्रदेश हो, उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए।

देश की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है, कोई वहां विदेशी सरकार तो है नहीं, इसलिए उनके साथ सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए। आप डेमोक्रेसी के फर्ज को पूरा नहीं कर रहे हैं, बेईमानी का पार्ट अदा कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण को बदलिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे : (खलीलाबाद) : सभापति महोदय, मैं खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूँ।

मैंने अभी वर्मा जी का भाषण सुना। वर्मा जी को आलोचना करनी चाहिए थी, उन्होंने आलोचना की। वाजपेयी जी सदन में मौजूद हैं! इनके पूर्व विरोधी पक्ष से हमारे तमिलनाडु के साथी ने अपने विचार व्यक्त किए। मुझे एक बात की चिन्ता हो रही है, पूरे सदन को हुई कि मुख्यमंत्री सस्त लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए अनशन पर बैठ गए। हमारे भाईयों ने यह आरोप लगाया कि चूँकि वहां विरोधी दल की सरकार है, इसलिए भारत सरकार उनकी खाद्यान्न की पूर्ति नहीं करती है।

मान्यवर, अगर मुख्य मंत्री लोग अनशन कर के, सरप्लस स्टेट होते हुए भी, गल्ले की मांग करते रहे और भारत सरकार को दोषी ठहराते रहें तो यह एक बड़ी अजीब बात होगी। मैं माननीय मंत्री जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ— इस आर्थिक संकट के समय में उन्होंने मूल्यों को बढ़ने नहीं दिया, मूल्यों को बढ़ने से रोका और हिन्दुस्तान के कोने-कोने में, जहां आन्दोलन भी चल रहा था

[श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे]

किसी को भूख से मरने नहीं दिया। इस के लिए मैं माननीय मंत्री जी का हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूँ।

मान्यवर, मैं अब 16-17 मई, 1979 की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जब देश में जनता पार्टी की सरकार थी। 16-17 मई, 1979 को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में गन्ने के मूल्य को ले कर आन्दोलन छेड़ा था, क्योंकि चौधरी चरण सिंह साहब ने घोषणा कर दी थी कि हम गन्ने का मूल्य बढ़ने नहीं देंगे। गन्ना किसानों ने अधिक बोया है तो यह उन की जिम्मेदारी है। मजबूर हो कर हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों और कांग्रेस के नेता लोगों ने प्रदर्शन किया और उस समय जिस प्रकार से लाठी चार्ज हुआ था, वह आप से छिपा हुआ नहीं है। पं० कमलापति त्रिपाठी से ले कर पं० उमा शंकर दीक्षित तक को लाठी से मारा गया वाजपेयी जी भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, उन की पूरी सिम्पैथी हमारे साथ है।

आज केन्द्र में हमारी सरकार है तथा प्रदेश में भी हमारी सरकार है— मैं एक बात साफ तौर से कहना चाहता हूँ जिन किसानों की लड़ाई हम लोगों ने जनता शासन में लड़ी थी, यदि उन को लड़ाई हम आज नहीं लड़ेंगे तो जनता के सामने हमें सिर झुकाना पड़ेगा। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने का मूल्य पूर्वांचल के लिए—हम पूर्वी उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल कहते हैं—साढ़े बीस रुपए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए साढ़े इक्कीस रुपए निर्धारित किया, लेकिन भारत सरकार का जो पांच कस्टोडियन मिलें उत्तर प्रदेश में हैं, वे केवल 17

रुपए 40 पैसे से 18 रुपए 85 पैसे दे रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश के सामने आज एक अहम मुद्दा खड़ा हो गया है, बतलाइये, उत्तर प्रदेश सरकार क्या करे? भारत सरकार के वित्त मंत्री से बार-बार हमारे मुख्य मंत्री, हमारे गन्ना मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी अपील कर रहे हैं कि हम लोगों ने जनमत का आदर करते हुए साढ़े बीस रुपए और साढ़े इक्कीस रुपए मूल्य निर्धारित किया है, बरायमेहरबानी अपनी कस्टोडियन मिलों से वह मूल्य दिलाने की कृपा कीजिए। परन्तु अभी तक हमारी बातों की तरफ तबज्जह नहीं दी गई है। मजबूर हो कर हमारी उत्तर प्रदेश का सरकार और संसद सदस्य कल पूज्य इन्दिरा जी से अपील करने जा रहे हैं कि जरा उत्तर प्रदेश की तरफ ध्यान दीजिए।

मैं जानता हूँ कि इस बात से माननीय मंत्री जी का सीधा संबंध नहीं है, परन्तु यह यंत्रालय चीनी अपने हाथ में रखता है, यह मंत्रालय किसानों की समस्याओं को अपने हाथ में रखता है, तो माननीय मंत्री जी से अपील है कि वे माननीय वित्त मंत्री जी से जरूर कह दें कि उत्तर प्रदेश को यह सर्वसम्मत मांग है, हम लोगों की अपील है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो 20 करोड़ रुपए का कर्ज मांग रहा है वह उसे जरूर दिला दें। जिससे गन्ना किसानों की जो पाँचियाँ हैं उनका भुगतान किया जा सके।

18 hrs.

मान्यवर, हम लोग नहीं चाहते कि जनमत की हम लोग उपेक्षा करें और जनता हम से 1985 में यह पूछे कि आपने हमारे लिए क्या किया,

जबकि आप ही लोगों के लिए हम ने आन्दोलन 1979 में छोड़ा था और हम लोग लखनऊ गये थे वहाँ पर हम पर लाठी चार्ज हुआ था हमने लाठियाँ खाई थीं और आपको पार्टी के लोगों के साथ हम ने जेल भरी थी।

मान्यवर, कस्टोडियन मिल एरिया में गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ा है, उत्तर प्रदेश के दूसरे एरियाज में कस्टोडियन एरिया से ज्यादा मूल्य मिलता है। इसी कारण किसानों की पच्चियों का भुगतान नहीं हुआ है। जब जनता हमसे यह प्रश्न करती है तो इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं होता इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि समय रहते जागने की आवश्यकता है।

मान्यवर, मेरी अपील है कि माननीय वित्त मंत्री जी को हमारी भावनाओं से अवगत करा दिया जाए। हम लोग कल देश की प्रधान मंत्री जी से मिलने जाने वाले हैं।

मान्यवर, फूड कारपोरेशन आफ इंडिया के बारे में भी बहुत बातें सुनी गयीं जिनमें से कुछ बातें सच भी हैं। जैसे रेलवे बोर्ड के बारे में कहा जाता है

सभापति महोदय : पांडे जी, अपना भाषण आप कल जारी रखें।

— — —

18.01 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

FORTY-FOURTH REPORT

THE MINISTER OF PARLIAMEN-
 TARY AFFAIRS, SPORTS AND
 WORKS AND HOUSING (SHRI
 BUTA SINGH): I beg to present the
 Forty-Fourth Report of the Business
 Advisory Committee.

18.02 hrs.

*The Lok Sabha then adjourned till
 Eleven of the Clock on Friday, March
 25, 1983/Chaitra 4, 1905 (Saka).*